पत्रांक–2प0 / पं0स0भ0–09–04 / 2023(खण्ड) / 7103 / पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार, भा0प्र0से0
सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार

सभी उप विकास आयुक्त–सह
–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार

पटना, दिनांक 04/6/**2025**

विषयः पंचायत सरकार भवन के निरीक्षण के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत है कि राज्य सरकार राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण कराये जाने हेतु कृत संकल्पित है। इस क्रम में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, भवन निर्माण विभाग एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में 2000 पंचायत सरकार भवन, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, 2615 पंचायत सरकार भवन, भवन निर्माण विभाग एवं 622 पंचायत सरकार भवन ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जा रहा है। इसमें से अबतक मात्र 1635 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है।

निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान करने के एक लम्बी अवधि के उपरांत मात्र 1635 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होना इस बात का परिचायक है कि निर्माण कार्य की गति अत्यन्त धीमी है। पंचायत सरकार भवन के निर्माण पर राज्य सरकार द्वारा एक बड़ी राशि का व्यय किया जा रहा है, अतः इस बात को सुनिश्चित किये जाने की नितांत आवश्यकता है कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो। पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में तीव्रता लाने एवं इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय स्तर पर गहन समीक्षा एंव सूक्ष्म निरीक्षण किये जाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त के आलोक में विभाग स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया हैः–

1. जिला पदाधिकारी संबंधित एजेंसी के जिला स्तरीय अभियंता एंव जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ पाक्षिक समीक्षा बैठक करेंगे। आवश्यकता अनुसार समीक्षा बैठक में अंचलाधिकारी को भी शामिल करेंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में किसी एक पंचायत सरकार भवन का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण का उद्देश्य निर्माण की गति में तीव्रता लाया जाना एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना है। निरीक्षण की सूचना संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को पूर्व में ही दिया जाय ताकि निरीक्षण के समय संबंधित अभियंता स्थल पर उपस्थित रहे।

कृ0पृ0उ0..........

2. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद प्रत्येक माह जिला अभियंता के साथ कम से कम एक पंचायत सरकार भवन का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के उपरांत गुणवत्ता एवं निर्माण कार्य की गति से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के साथ एक प्रति विभाग को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे। निरीक्षण की सूचना संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को पूर्व में ही दिया जाय ताकि निरीक्षण के समय संबंधित अभियंता स्थल पर उपस्थित रहे।

3. जिला पंचायत राज पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक पंचायत सरकार भवन का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण मुख्यतः निर्माण की गति एवं गुणवत्ता को केन्द्र में रख कर किया जायेगा। निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के साथ–साथ विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। निरीक्षण की सूचना संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को पूर्व में ही दिया जाय ताकि निरीक्षण के समय संबंधित अभियंता स्थल पर उपस्थित रहे।

अतः अनुरोध है उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संबंधित प्रतिवेदन ससमय विभाग को उपलब्ध करायी जाय ताकि विभाग स्तर से इस संबंध में समूचित आवश्यक कार्रवाई किया जा सके।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांकः– 2प / पं०स०भ० / 09–04 / 2023(खण्ड) 7103 पं०रा०पटना, दिनांक 04 / 6 / 2025
प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नज़र हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः– 2प / पं०स०भ० / 09–04 / 2023(खण्ड) 7103 पं०रा०पटना, दिनांक 04 / 6 / 2025
प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(नज़र हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः– 2प / पं०स०भ० / 09–04 / 2023(खण्ड) 7103 पं०रा०पटना, दिनांक 04 / 6 / 2025
प्रतिलिपिः– आई टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नज़र हुसैन)
अपर सचिव